

<p>डाकघर (आर. डी.) जमा खाता</p>	<p>प्रतिवर्ष दिया जाता है। 9 प्रतिशत चक्रवृद्धि व्याज तिमाही के हिसाब से 5 साल बाद इकट्ठी रकम के साथ मिलता है। रु०-10 के खाते पर 5 वर्ष बाद रु० 759.53 प्राप्त होते हैं।</p>	<p>संस्थागत खातों के लिए कोई सीमा नहीं न्यूनतम रु० 10 प्रतिमाह रु० 5/-के गुणकों में खाता खोला जा सकता है अधिकतम कोई सीमा नहीं।</p>	<p>एक सौम्य बचत खाते में जमा राशि को 50 प्रतिशत तक सिर्फ एक बार निकाली जा सकती है 50- तक के खाते की परिपक्वता पर मिलने वाली रकम सुरक्षित बचत योजना के अनुसार समय से पूर्व खोलने की प्रत्युद्दिष्ट पर सीमित की दी जाती है। रु. और बचत महानि के लिए अग्रिम जमा धन पर छूट मिलता है। ब्याज पर अधिकतम की प्राप्ति 80 एल के अन्तर्गत छूट 2, 3 और 5 साल के खाते एक साल बाद डिस्कॉन्ड की कटौती पर बन्द किया जा सकते हैं। इस पर ब्याज खाता बन्द किया जा सकता है।</p>
<p>डाकघर संवर्धित जमा खाता</p>	<p>ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अर्जित ब्याज वार्षिक रूप से भुगतान होता है।</p>	<p>न्यूनतम 50/- अधिकतम कोई सीमा नहीं।</p>	<p>जमा राशि आयकर धारा 88 के अनुसार अधिकतम छूट के योग्य है। जमा राशि गुणित सम्पदा कर से मुक्त है। खाता खोलने के 7 वें बिलियन वर्ष से प्रत्येक वर्ष में खाते में रकम निकाल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 3 से ऋण लेने की सुविधा है। खाते को किसी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं किया जा सकता है।</p>
<p>15 वर्षीय लोक श्रमिण्य निधि खाता</p>	<p>दर एक वर्षीय खाता 7.5% दो वर्षीय खाता 8% तीन वर्षीय खाता 9% पाँच वर्षीय खाता 9% ब्याज 9.5% वार्षिक आधार पर गणनीय</p>	<p>न्यूनतम रु० 100/- अधिकतम रु० 60,000/- एक वित्तीय वर्ष में एक मृत या 12 किशोरों में जमा किया जा सकता है।</p>	<p>जमा राशि आयकर धारा 88 के अनुसार अधिकतम छूट के योग्य है। जमा राशि गुणित सम्पदा कर से मुक्त है। खाता खोलने के 7 वें बिलियन वर्ष से प्रत्येक वर्ष में खाते में रकम निकाल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 3 से ऋण लेने की सुविधा है। खाते को किसी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं किया जा सकता है।</p>
<p>डाकघर मासिक आय योजना</p>	<p>9.5% ब्याज की दर से प्रतिमाह देय। इसके अतिरिक्त 10% की दर से बोनस के रूप में छः साल बाद मूलधन वापस हो जाता है</p>	<p>6000/- मूल्यवर्ग में एकल खाते में अधिकतम रु. 2.04 लाख एवं संयुक्त खाते में रु. 4.08 लाख जमा किया जा सकता है।</p>	<p>योजना 6 वर्ष की है। एक वर्ष बाद भी खाता बन्द किया जा सकता है और उस दर में 5% की दर से कटौती की जायेगी। यदि खाता खोलने के तीन वर्ष बाद खाता बन्द किया जाता है तो किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। ब्याज एवं बोनस आयकर की प्राप्ति 80 एल के अन्तर्गत छूट के योग्य</p>

## शिक्षा विभाग की योजनाएँ

प्राथमिक शिक्षा का संचालन मूल रूप से ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाता है। समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान तथा सचिव प्र०अ० पदेन होते हैं। शेष ग्राम पंचायत के सदस्यों में से अन्य सदस्य होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय के विकास, मरम्मत, शिक्षा व्यवस्था के सुचारु संचालन का अधिकार होता है।

**खातों का संचालन :** प्राथमिक विद्यालय के दो खाते होते हैं जिनका संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है।

**1. विकास अभिदान निधि :** प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों से रु० 1-00 प्रतिमाह कुल 10 माह हेतु शुल्क लिया जाता है। अनुसूचित जाति के छात्रों के अलावा 10% अन्य गरीब छात्रों को इससे छूट दी जाती है। इस अभिदान से ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर विद्यालय के विकास हेतु एक बार में रु० 999=00 तक व्यय कर सकती है। उससे अधिक धन आहरण हेतु जिले स्तर पर जिला शिक्षा समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है।

**2. ग्राम शिक्षा निधि :** इस निधि में विद्यालय भवन के निर्माण, अतिरिक्त कक्षा निर्माण, संकुल भवन, संचालन निर्माण आदि का धन जमा होता है, जिसका उपयोग उक्त निर्माण कार्यों हेतु ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

